तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27/6/18 Y.S. Bhati Ad.	राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2018" प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान। न्याय आपके द्वार 2018 शिविर में पेश है। प्रार्थी की ओर से [illegible] पेश हुए। अभिभाषक प्रार्थी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], किन्तु अभिभाषक [illegible] [illegible] की जाती है [illegible] प्रकरण [illegible] किया गया है [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पक्षकारान [illegible] [illegible] है (हस्ताक्षर) [illegible] अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर [illegible] (भीलवाड़ा)

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. यादव, R.A.S.

प्रकरण संख्या 11 / 2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

नारायणलाल S/O मथुरालाल रेबारी

निवासी मालोला का खेड़ा — प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

मोहनलाल S/O नाना सैन्स पसंद

निवासी मालोला का खेड़ा — विपक्षी / विपक्षीगण

स्थित :– श्री योगेन्द्र सिंह कोठिया

निर्णय दिनांक 27/6/18

प्रार्थी / प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी / विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थी / प्रार्थीगण के ग्राम मालोला का खेड़ा, तहसील शाहपुरा / ———— जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 154 रकबा 0.85 कुल किता 1 रकबा 0.85 हैक्टयर का प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / ~~संयुक्त खातेदार~~ काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी / विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी / प्रार्थीगण एवं विपक्षी / विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी / विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी / विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी / प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम मालोला का खेड़ा संवत 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / ~~संयुक्त खातेदार~~ दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मालोला का खेड़ा मे स्थित प्रार्थी / प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी / ~~संयुक्त खातेदारी~~ की आराजीयात किता 1 रकबा 0.85 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा / ———— को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 200/= रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी / प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा / ———— मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/6/18 को सरे इजलास सुनाया गया।

(के. आर. यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपिः–तहसीलदार, शाहपुरा / ———— पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner